"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2026 — श्रावण 30, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3, दिनांक 19.06.2026 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"16.	निरीक्षक (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी।"
17.	राजस्व निरीक्षक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णतथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा।	
18.	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।	

2. समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"5.	अनुदेशक (संस्कृति विभाग)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवंछत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्तपॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से - **(क)** शीघ्रलेखक **(**हिन्दी**)** के लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। **(ख)** शीघ्रलेखक **(**अंग्रेजी**)** के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। **(ग)** द्विभाषी- शीघ्रलेखक के लिए- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी।"
6.	सांख्यिकी लिपिक	(1)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति का प्रमाण पत्र।	

3. समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-03 के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"12.	असिस्टेंट क्यूरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में एम.ए. स्नातकोत्तर उपाधि अथवा संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"
13.	अनुसंधान सहायक (जल संसाधन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/भौतिकी, रसायन में बी.एस.सी. या भौतिकी में एम.एस.सी. डिग्री या उपरोक्त विषयों में समकक्ष डिग्री।	
14.	मण्डल संयोजक (आदिम जाति विकास विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान/समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान में स्नातक या समकक्ष उपाधि एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
15.	विधि सहायक (आदिम जाति विकास विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. डिग्री एवं न्यायालय में व्यवसाय का 03 वर्ष का अनुभव।	
16.	"कोच" क्रीड़ा परिसर (आदिम जाति विकास विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी.पी.एड./बी. पी.ई) 2. संबंधित विधा (खेल) में भारतीय खेल प्राधिकरण से एन.आई.एस. डिप्लोमा होना चाहिए।	
17.	संग्रहालय सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	
18.	सहायक मत्स्य अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एफ.एससी. अथवा मत्स्य एवं मत्योद्योग में विशेषता के साथ स्नातकोत्तर (एम.एससी. प्राणीविज्ञान) तथा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त।	
19.	फील्ड ऑफिसर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान (बी.एस.सी. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान) में स्नातक उपाधि।	
20.	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान (बी.एस.सी. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान) में स्नातक उपाधि।	
21.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	
22.	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित अथवा समाज शास्त्र में स्नातक उपाधि।	
23.	संगणक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी/गणित अथवा समाज शास्त्रमें स्नातक उपाधि।	
24.	आर्थोटिक प्रोस्थेटिक इंजीनियर	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक में स्नातक डिग्री (बी.पी.ओ.)। 2. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	

25.	संचार उपव्यवस्था (कम्यूनिकेशन डिसआर्डर)	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बैचलर इन ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लेंग्वेज पैथालॉजी (बी.ए.एस.एल.पी.)। 2. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
26.	समाज शिक्षा संगठक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एस.डब्ल्यू)।	
27.	परिवीक्षा अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एस.डब्ल्यू.)।	
28.	पुनर्वास सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एस.डब्ल्यू)।	
29.	बहुद्देशीय पुनर्वास सहायक प्रचारक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एस.डब्ल्यू)।	
30.	आर्थोटिस्ट	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्थोटिस्ट एवं प्रोस्थेटिस्ट मे स्नातक डिग्री (बी.पी.ओ)। 2. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
31.	प्रोस्थेटिस्ट	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्थोटिस्ट एवं प्रोस्थेटिस्ट मे स्नातक डिग्री (बी.पी.ओ)। 2. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
32.	वार्डन (महाविद्यालय) (समाज कल्याण विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातक एवं अन्य अर्हताएं।	
33.	भू-भौतिकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में या इलेक्ट्रानिक्स के साथ अधिमान्य रूप से भौतिक शास्त्र में स्नातक।	
34.	भू-रसायन सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकार्बनिक एनालिटिकल रसायन शास्त्र में स्नातक।	
35.	भू-भौमिकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में स्नातक या भू-जल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में स्नातक/एम.टेक।	
36.	भू-गर्भ सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में स्नातक या भू-जल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में स्नातक/एम.टेक।	
37.	भू-जल सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में स्नातक या भू-जल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में स्नातक/एम.टेक।	
38.	बांध निरीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या गणित, भौतिकी तथा रसायन में बी.एस.सी.।	
39.	अनुवादक (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं अन्य अर्हताएं।	

40.	पर्यवेक्षक (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
41.	उत्खनन सहायक (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
42.	स्वागतकर्ता (संस्कृति विभाग)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक अभियांत्रिकीय कार्य/एम.एस.डब्ल्यू या पत्रकारिता में डिप्लोमा तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
43.	रसायनज्ञ (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रशायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
44.	सहायक रसायनज्ञ (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
45.	सहायक रसायनज्ञ (खनिज साधन विभाग)	अकार्बनिक अथवा एनिलिटिकल रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अहर्ताएं।	
46.	मार्गदर्शक (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी/ऑकियोलाजी अथवा समकक्ष तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
47.	तकनीकी सहायक (लेखन) (संस्कृति विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
48.	तकनीकी सहायक (वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी/वनस्पति विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान में स्नातक डिग्री। 2. डी.पी.एड. अथवा स्नातक सहित बी.पी.एड.।	
49.	प्रशिक्षक (खेल एवं युवा कल्याण विभाग)	राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिप्लोमा। खेल अकादमी के तीरदांजी प्रशिक्षक को खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रिकर्व विद्या प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ होना अनिवार्य होगा।	
50.	सहायक लेखाधिकारी (राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स स्नातकोत्तर। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	

51.	सहायक प्रबंधक (राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	
52.	क्षेत्र सहायक (राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	
53.	प्रबंधक (छ.ग. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि या औद्योगिक रसायन/वाणिज्य अर्थशास्त्र/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विशेष विषय के रूप में स्नातकोत्तर या एम.बी.ए.।	

4. समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक-1 के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"2.	पी.टी.आई. (वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. डी.पी.एड. अथवा स्नातक सहित बी.पी.एड.।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी।"

5. समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 वर्णित तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप समूह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''उप समूह-03

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष शिक्षक (दृष्टि बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में बी.एड.। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिर्वाय।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"
2.	उच्च वर्ग शिक्षक (अस्थि बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.एड. डिग्री ।	
3.	शिक्षक (दृष्टि बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में बी.एड.डिग्री । 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
4.	शिक्षक (श्रवण बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से श्रवण बाधित में बी.एड. डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	

5.	शिक्षक (मंदबुद्धि बाधितार्थ)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2- मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंदता में बी.एड.डिग्री। 3- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर अथवा हियरिंग इम्पेयरड अथवा विजूअल इम्पेयरड अथवा सेरेब्रल पाल्सी (एएसडी, एचएल, व्हीआई, सीपी) किसी भी एक विषय में बी.एड. डिग्री। 4. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
6.	एकीकृत शिक्षक	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित में बी.एड. डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
7.	प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक (दृष्टि बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में बी.एड. डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
8.	प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक (श्रवण बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से श्रवण बाधित में बी.एड. डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
9.	उच्च वर्ग शिक्षक (दृष्टि बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्तसंस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में बी.एड. डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
10.	मोबिलिटि प्रशिक्षक (दृष्टि/श्रवण बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से मोबिलिटि में डिप्लोमा (दृष्टि बाधित हेतु) अथवा फिजिकल एजुकेशन में स्नातक डिग्री। (बी.पी.एड) (श्रवण बाधित हेतु)। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
11.	प्रशिक्षित शिक्षक (श्रवण बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से श्रवण बाधित में बी.एड.। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
12.	प्रशिक्षित शिक्षक (बौद्धिक मंदता)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंदता में बी.एड.डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
13.	प्रशिक्षित शिक्षक (दृष्टि बाधित)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में बी.एड. डिग्री। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	

14.	प्रशिक्षित शिक्षक (बहु विकलांग)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंदता में बी.एड. डिग्री। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर या हियरिंग इम्पेयरड या विजूअल इम्पेयरड या सेरेब्रल पाल्सी (एएसडी, एचएल, व्हीआई, सीपी) किसी भी एक विषय में डी.एड.। 4. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	
15.	प्रशिक्षक (नि.क.) (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था /पॉलीटेकनिक/आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा।	
16.	व्यवसायिक शिक्षक (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था /पॉलीटेकनिक/ आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा।	
17.	व्यवसायिक प्रशिक्षक (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था /पॉलीटेकनिक/आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में डिग्री/डिप्लोमा।	
18.	मान्टेसरी शिक्षक (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्तसंस्था/ विश्वविद्यालय से डी.एड.।	
19.	निम्न वर्ग शिक्षक (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंदता में डी.एड. (मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह हेतु) अथवा डी..एड. (अस्थि बाधित बाल गृह हेतु)। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिर्वाय। (मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह हेतु)	
20.	संगीतकार (महाविद्यालय) (समाज कलयाण विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक स्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ व्ही.आई.डी.की उपाधि।	
21.	प्रुफ रीडर (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में डी.एड.। 3. आर.सी.आई. का जीवित पंजीयन अनिवार्य।	

6. समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-03 वर्णित तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप समूह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''उप समूह-04

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"
2.	प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
3.	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय/इंजीनियरिंग ड्राईंग/वर्कशाप कैलकुलेशन)	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
4.	प्रशिक्षण अधिकारी एम्पालयबिटी स्किल	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	

7. समूह-4, तृतीय श्रेणी (वर्दीधारी सेवा) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक-2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"3.	क्षेत्ररक्षक (वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अर्हताएं।	अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।"
4.	सिपाही (चतुर्थ श्रेणी) (खनिज साधन विभाग)		

8. समूह-5, तृतीय श्रेणी (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक-7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"8.	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"
9.	फिजियोथेरापिस्ट (समाज कल्याण विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक डिग्री तथा आई.ए.पी./ छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एण्ड आक्यूपेशनल काउंसिल से मान्यता।	
10.	आक्युपेशनल थेरापिस्ट/ कनिष्ठ आक्युपेश्नल थेरापिस्ट	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आक्युपेशनल थेरेपी में स्नातक डिग्री तथा आई.ए.पी./छत्तीसगढ़ फिजियोथेपी एवं आक्यूपेशनल काउंसिल से मान्यता।	
11.	नर्स (समाज कल्याण विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णतथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	

9. समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"13.	वायरलेस ऑपरेटर (जल संसाधन विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णतथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"
14.	सर्वेयर (संस्कृति विभाग)		
15.	वीडियोग्राफर/ छायाचित्रकार (संस्कृति विभाग)		
16.	बाईंडर (संस्कृति विभाग)		
17.	मोल्डर/सेल्समेन (संस्कृति विभाग)		
18.	कर्मशाला सहायक (आई.टी.आई. हेतु)		
19.	जुनियर रीडर (मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग)		
20.	कापी होल्डर		
21.	सेक्शन होल्डर		
22.	ओवरसियर		
23.	सहायक सेक्शन होल्डर		
24.	होल्डरकलर स्केनर आपरेटर		
25.	फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर		
26.	वेब डिजाइनर ग्राफिक्स		
27.	प्लेट मेकर		
28.	मैकेनिक कम इलेक्ट्रिशयन		
29.	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर		
30.	सिंगल कलर शीट फेड आपरेटर		
31.	मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन आपरेटर		
32.	ग्राफिक आर्ट डिजानर		
33.	ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर		

34.	विद्युत परिसारक		
35.	समयपाल		
36.	ट्रेसर/ रिट्रचर/पेस्टर		
37.	कलाकार (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी(10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय यथा अभिनय/ संवाद/लेखन, संगीत/निर्देशन में डिग्री/डिप्लोमा।	
38.	बहुद्देशीय पुर्नवास सहायक तकनीकी (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से आर्थोटिक एण्ड प्रोस्थेटिक/इयर मोल्ड में पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र।	
39.	मशीन मेन (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था में ब्रेललिपि कार्य का समुचित ज्ञान एवं हैवी ड्यूटी ब्रेल प्रिंटर मशीन चलाने का दो वर्ष का अनुभव।	
40.	ब्रेल ट्रांसक्रायवर (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था में ब्रेललिपि कार्य का समुचित ज्ञान एवं ब्रेल लिपि में कम्प्यूटर टायपिंग का दो वर्ष का अनुभव।	
41.	बुक बाईडंर (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था में ब्रेल पुस्तक बाईडिंग का दो वर्ष का अनुभव एवं ब्रेललिपि का ज्ञान।	
42.	टेक्निशियन (पी.आर.आर.सी.) (समाज कल्याण विभाग)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से आर्थोटिक एण्ड प्रोस्थेटिक में पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र।	
43.	खनि सर्वेक्षक (खनिज साधन विभाग)	खनिकर्म/सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि के साथ दो वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव।	
44.	स्टोर कीपर (खनिज साधन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/आटोमोबाईल में 03 वर्ष का डिप्लोमा।	
45.	सर्वेयर (खनिज साधन विभाग	खनिकर्म/सिविल इंजीनियरिंग पत्रोपाधि अथवा आई.टी.आई. से सर्वेयर ट्रेड उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र के साथ दो वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव।	
46.	मददगार (खनिज साधन विभाग)	आई.टी.आई. से डीजल मेकेनिक मशिनिष्ट या आटोमोबाइल ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण।	

10. समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"4.	छात्रावास अधीक्षक (आई.टी.आई. हेतु)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (फिजीकल एजुकेशन) में डिप्लोमा/ स्नातक उपाधि।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।"
5.	फील्डमेन (ग्रामोद्योग विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	
6.	केटलागर (सा.प्र.वि.)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णएवं पुस्तकालय विज्ञान में पत्रोपाधि के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री।	
7.	क्लासीफायर (सा.प्र.वि.)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णएवं पुस्तकालय विज्ञान में पत्रोपाधि के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री।	
8.	पर्यवेक्षक (महिला एवं बाल विकास अंतर्गत परिसीमित सीधी भर्ती हेतु)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। (2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंत 05 वर्ष सेवा का अनुभव। (3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत् होना चाहिए।।	

11. समूह-7, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी (हाई स्कूल स्तर) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"4.	जांच अनुचर (ऊर्जा विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।"
5.	जूनियर बाइंडर (तृतीय श्रेणी)(मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग)	मान्यता प्राप्त मंडल से हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं एवं अनुभव।	
6.	इंकर		
7.	पेस्टिंग बॉय		
8.	ऑक्जीलरी		
9.	डार्करूम असिस्टेंट		
10.	पैकर		
11.	ग्राउण्डमेन (खेल एवं युवा कल्याण विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	
12.	प्रवर्तक (ग्रामोद्योग विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	
13.	मत्स्य जमादार	मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण तथा	

	(मछली पालन विभाग)	नाव चलाने, जाल बुनने एवं जालों के उपयोग का पर्याप्त अनुभव, तैरना आना चाहिए।	
14.	वाटरमेन (मछली पालन विभाग)	मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण	

12. समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक-12 के कॉलम क्रमांक (2) में अंकित पदनाम ''सूचना सहायक'' के स्थान पर, ''सहायक सूचना अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

13. पैरा-4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''5. तृतीय श्रेणी अंतर्गतसमूह-5 एवं 6 मेंशामिल वे पद, जो प्रशासकीय विभाग के विभागीय भर्ती नियम में चतुर्थ श्रेणी के रूप में अधिसूचित है, वे चतुर्थ श्रेणी घोषित माने जाएंगे।

6. उपरोक्त अधिसूचित पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, प्रशासकीय विभाग से परामर्श उपरांत संकाय विशिष्ट पदों के लिए अतिरिक्त परीक्षा (भाग-ब) आयोजित कर सकेंगे, अन्यथा कॉमन परीक्षा (भाग-अ) अनिवार्य होगा।

7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामगो, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.